संख्याः– 166/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 01 अप्रैल 2020

विषयः– कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे–मास्क, पीपीआई, आरटी–पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिये धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 154/एक–10–2020–33(221)/2011 टी0सी0 ।।, दिनांक 25.03.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे–मास्क, पीपीआई, आरटी–पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 100,00,00,000/– (रूपये सौ करोड़ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से** के सचिव, चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) उपरोक्त धनराशि से वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे–मास्क, पीपीआई, आरटी–पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने हेतु वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों/गाईड लाइन्स पर ही किया जाय।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबध्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–166 (1) / एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/
(संजय गोयल)
सचिव।